महत्वपूर्ण एवं खास

पुसौर के ग्राम कठानी शासकीय भूमि में शौचालय निर्माण को लेकर मारपीट मामले में आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। थाना पुसौर अंतगर्त ग्राम कठानी में 30 दिसंबर के दोपहर सरपंच पति नेत्रानंद गुप्ता ग्राम पंचायत कठानी में स्वच्छ भारत मिशन योजना से सामुदायिक शौचालय का निर्माण स्वीकृत शासकीय भूमि में कार्य करा रहे थे। उसी भूमि से लगा गोपाल गुप्ता की भूमि है। गोपाल गुप्ता के द्वारा सामुदायिक शौचालय स्वीकृत शास. भूमि में निर्माण की बात को लेकर नेत्रानंद गुप्ता से गाली गलौज कर उस पर जान से मारने की नियत से पीछे से आकर नेत्रानंद गुप्ता पर मोटे से लकडी से सिर एवं पीठ, बाह में मारकर चोट पहुंचाया था। मामले में आहत का मुलाहिजा पश्चात विवेचना दरम्यान गवाहों के कथन एवं साक्ष्य के मुताबिक विवेचनाधिकारी द्वारा प्रकरण में धारा 307 आईपीसी विस्तारित कर आरोपी गोपाल गुप्ता पिता डोलामणी गुप्ता उम्र 36 वर्ष निवासी कठानी थाना पुसौर को आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर विवेचना कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तारी में थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम एवं सहायक उप निरीक्षक हेमसागर पटेल की अहम भूमिका रही है।

छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल हरिचंदन आज पहुंचेंगे रायपुर, कल लेंगे राज्यपाल पद की शपथ

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल श्री विश्व भूषण हरिचंदन कल 22 फरवरी को राजभवन विजयवाड़ा, आंध्रप्रदेश से प्रात: 7:40 बजे प्रस्थान करेंगे तथा प्रात: 8:30 बजे विशेष विमान से रवाना होकर प्रात: 10:00 बजे स्वामी विवेकानंद विमानतल, रायपुर पहुंचेंगे। तत्पश्चात वे राजभवन के लिए प्रस्थान करेंगे। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल श्री विश्व भूषण हरिचंदन 23 फरवरी 2023 को प्रात: 11.30 राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल को बिलासपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री अरूप कुमार गोस्वामी शपथ दिलाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधिगण, आमंत्रित गणमान्य नागरिक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

नीति आयोग के सीईओ बनाए गए सुब्रमण्यम, छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के हैं आईएएस अधिकारी

रायपुर/नईदिल्ली (आरएनएस)। कैबिनेट की अप्वाइंटमेंट कमेटी ने पूर्व कॉमर्स सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ष्टश्वह्) नियुक्त किया है. सुब्रह्मण्यम छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. उन्हें जून 2018 में जम्मू और कश्मीर में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था. उन्हें 30 जून को अनूप वधावन के रिटायरमेंट पर मई 2021 में भारत सरकार के कॉमर्स सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। बीवीआर सुब्रमण्यम ने मुख्य सचिव के रूप में काम किया, जब राज्य को 2019 में दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था. वह एक अनुभवी नौकरशाह हैं, जिन्होंने मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम किया है. वहीं नीति आयोग के सीईओ के तौर पर काम कर रहे अय्यर को विश्व बैंक मुख्यालय में कार्यकारी निदेशक के तौर पर तीन साल के लिए नियुक्त किया गया है. विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में है. आदेश में कहा गया कि अय्यर 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर का स्थान लेंगे, जिन्हें उनके कैडर राज्य हरियाणा में वापस भेज दिया गया है।

कलेक्टर सिन्हा ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों को अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने के दिए निर्देश

- तहसीलों में शिविर लगाकर राजस्व प्रकरणों का करें निराकरण-कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा
- परीक्षाएं करीब, रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर्स बजे तो करें कार्यवाही
- कलेक्टर ने कहा भू-अर्जन के पश्चात राजस्व रिकार्ड हो अपडेटेड
- बारिश में चलेगा वृहत वृक्षारोपण अभियान, वन व उद्यानिकी विभाग को तैयारी के निर्देश
- कलेक्टर सिन्हा ने ली समय-सीमा की बैठक

रायगढ़। समय-सीमा की बैठक में राजस्व प्रकरणों के धीमे निराकरण को लेकर कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कड़ी नाराजगी जताई और सभी एसडीएम व तहसीलदारों से कहा कि जनचौपाल में अधिकांश आवेदन राजस्व से जुड़े मामलों के आ रहे हैं, जिनमें से कई मामले अविवादित नामांतरण, सीमांकन, बटांकन के होते है, यह अच्छी बात नहीं है। सभी तहसीलों में राजस्व शिविर लगाकर ऐसे प्रकरणों का जल्द निपटारा करें। जिससे लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान हो सके। कलेक्टर सिन्हा ने नजूल प्रकरणों के धीमे निराकरण पर भी नाराजगी जताई। समय-सीमा के बाहर लंबित प्रकरणों को लेकर भी उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि प्रकरणों को अनावश्यक रूप से न लंबित रखें। प्रकरण आने पर तत्काल उस पर कार्यवाही प्रारंभ करें और इसकी सूचना संबंधित को भी दें। कलेक्टर सिन्हा ने राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों से कहा कि अवैध प्लाटिंग के मामलों पर लगातार कार्यवाही होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भू-अर्जन के पश्चात राजस्व रिकार्डो को तत्काल दूरूस्त करना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि परीक्षाएं नजदीक हैं, ऐसे में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर निगरानी रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाउड स्पीकर्स को लेकर गाइड लाईन जारी किए गए है। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाए जा रहे हैं तो एसडीएम उस पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें। दूरस्थ अंचल के स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी नियमित रूप से इसकी जांच करें। उन्होंने सभी एसडीएम को भी स्कूलों की रैंडम जांच करने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं के लिए पूरी तैयारी रखने और उडऩदस्ता दल का गठन करने के निर्देश दिए। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों को चिन्हित कर वहां परीक्षा के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर सिन्हा ने जिले में वृक्षारोपण की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने वन तथा उद्यानिकी विभाग को प्लांटेशन के लिए पौधे तैयार करने के निर्देश दिए। सभी तहसीलदारों को प्लांटेशन के लिए भूमि का चिन्हांकन कर लैंड बैंक तैयार करने के लिए निर्देशित करते हुए कहा कि बड़े क्षेत्रफल में ब्लॉक प्लांटेशन किया जाना है। इसे अभियान के रूप में किया जाएगा। इसकी अभी से तैयारी कर लें।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा, आयुक्त नगर निगम संबित मिश्रा, डीएफओ रायगढ़ सुश्री स्टायलो मण्डावी, डीएफओ धरमजयगढ़ अभिषेक जोगावत, अपर कलेक्टर राजीव पाण्डेय सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

शासकीय चिकित्सालयों में डॉक्टर्स लिखे जेनेरिक दवा, सीएमएचओ को निर्देश- कलेक्टर सिन्हा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि शासकीय चिकित्सालयों में डॉक्टर जेनेरिक दवा लिखे, जिससे मरीजों के इलाज के खर्च में कटौती हो तथा उन्हें किफायती दर पर दवा मिले। उन्होंने हाट-बाजार क्लीनिक के नियमित संचालन, आयुष्मान कार्ड निर्माण की भी समीक्षा की। उन्होंने मिशन मोड में कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। साथ ही धन्वंतरि जेनेरिक दवा दुकान को जिला अस्पताल में शिफ्ट करने की कार्यवाही जल्द पूरी करने के लिए कहा। कलेक्टर सिन्हा ने इस दौरान एनआरसी केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति की समीक्षा भी की। जिसमें उन्होंने पाया कि कई केन्द्रों में बेड खाली है। इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए इतना अच्छा इन्फ्रा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। जहां पूरी सुविधाएं मौजूद है, इसका लाभ बच्चों को मिलना चाहिए तथा किसी भी सेन्टर में बेड खाली नहीं होने चाहिए। उन्होंने महिला बाल विकास विभाग को विशेष रूप से इसकी प्लानिग कर स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर कार्य करने के निर्देश दिए।

सक्रिय हों सभी गौठान, रीपा में लगने वाली मशीनों की क्वालिटी हो अच्छी- कलेक्टर सिन्हा ने बैठक में गोधन न्याय योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने सीईओ जनपदों से कहा कि सभी गौठान सक्रिय हों तथा यहां गोबर की नियमित खरीदी होनी चाहिए। उन्होंने गौमूत्र खरीदी की भी समीक्षा की और इसे बढ़ाने के निर्देश दिए।

ट्रकों में लोड रसियन कोल में मिलावट कर डिलीवरी देने प्लांट पहुंचे 3 ट्रक ड्रायवर गिरफ्तार

- धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के अपराध में भूपदेवपुर पुलिस की कार्यवाई

रायगढ़। 19 फरवरी को जेसएसडब्ल्यू स्टील प्लांट नहरपाली के शिफ्ट इंचार्ज विपिन बिहारी सिंह के द्वारा थाना भूपदेवपुर में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि JSW स्टील प्लांट के लिये विशाखापटनम से 05 ट्रक वाहनो में उच्च गुणवत्ता का रसियन कोल (पीसीआई कोल) दिनांक 14.02.2023 को ट्रांसपोर्ट OBC (ओडिसा-बंगाल केरियर) के माध्यम से ट्रांसपोर्ट कराया गया था। ट्रक चालको द्वारा रास्ते में अच्छे किस्म के रसियन कोल में मिलावट करके खराब किस्म का माल पहुंचाया गया है। ट्रक के चालक वाहनों को पार्किंग स्थल में खडी कर भाग गये हैं। आवेदन पर आरोपियों के विरूद्ध धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का अपराध दर्ज कर तत्काल थाना प्रभारी भूपदेवपुर उप निरीक्षक जी.पी. बंजारे अपने स्टाफ के साथ जेएसडब्लु प्लांट पहुंचे। जहां आरोपी ट्रक ड्रायवरों का पताकर तीन आरोपी ट्रक ड्रायवर- मधु सागर मानिकपुरी , मोहम्मद इकबाल और रमजान अली के मिलने पर तीनों को थाने लाया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किये हैं जिन्हें गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। माल की खरीदी-बिक्री करने वाले तथा दो फरार आरोपी ट्रक ड्रायवरों की पतासाजी की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी-

(1) मधु सागर मानिकपुरी पिता स्वर्गीय दया दास मानिकपुरी उम्र 23 साल निवासी रायपुरा महादेव घाट के पास थाना डीडी नगर जिला रायपुर छत्तीसगढ़

(2) मोहम्मद इकबाल पिता इमाम अली उम्र 24 साल निवासी नवापारा कला थाना प्रेम नगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

(3) रमजान अली पिता नूर मोहम्मद उम्र 35 साल निवासी आरा सरनापारा थाना राजपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़

1500 किलो महुआ लाहन सहित 65 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशन एवं सहायक आयुक्त आबकारी रामकृष्ण मिश्रा के मार्गदर्शन में रायगढ़ जिले में अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही निरंतर जारी है। आबकारी विभाग द्वारा अलग-अलग प्रकरणों के तहत कुल 1500 किलो महुआ लाहन एवं 65 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त करते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।

आबकारी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते दिनों ग्रामीणों ने कलेक्टर रायगढ़ को ग्राम सोनबरसा में अवैध महुआ शराब के निर्माण और विक्रय के विरुद्ध कार्रवाई हेतु आवेदन दिया था। इसी कड़ी में शराब की अवैध बिक्री के विरूद्ध आबकारी वृत्त खरसिया के प्रभारी आशीष उप्पल द्वारा कार्रवाई की गई। जिस पर आज आबकारी वृत्त खरसिया, घरघोड़ा और उत्तर के आबकारी उपनिरीक्षकों के संयुक्त टीम के द्वारा सोनबरसा में छापामार कार्रवाई की गई। जिसमें खेतों में महुआ शराब के निर्माण के लिए छिपा कर रखे करीब 50 बोरियों प्रत्येक में 30 किलो महुआ लाहन कुल (1500 किलो) तथा जरीकेनों में भरा 50 लीटर महुआ शराब लावारिस हालत में बरामद किया गया। महुआ लाहन को मौके पर ही नष्ट किया गया एवं प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

इसी तरह आबकारी वृत्त रायगढ़ (दक्षिण) प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक विकास पाल साण्डे ने कार्रवाई की है। जिसमें मुखबिर से सूचना मिलने पर गस्त के दौरान पुसौर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम छिछोर उमरिया निवासी खागेश्वर साव एवं चमार सिंह छिछोर उमरिया के संज्ञान अधिपत्य से क्रमश: 9 एवं 6 लीटर कुल (15 लीटर) अवैध महुआ मदिरा जप्त करते हुए आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा तहत प्रकरण दर्ज कर जेल दाखिल की कार्यवाही की गई।

उक्त कार्यवाही के दौरान आबकारी उपनिरीक्षक रमेश सिंह सिदार, खलखो, आबकारी आरक्षक रमन नेमी, मनोज तिवारी, प्रवीण जांगड़े, कुलदीप ठाकुर, राजेश्वर ठाकुर, नेल्सन लबेट, तेजकाल साहू, राजकुमार कश्यप, राधे गोविंद पाण्डेय एवं अन्नू ठाकुर उपस्थित रहे।

शासन की योजना का लाभ लेकर जमीन के पट्टेदार से बन सकते है मालिक

- भूमि स्वामी हक मिलने से होंगे कई लाभ, भू-अर्जन होने पर मिलेगा मुआवजा, बैंकों से आसानी से मिलेंगे लोन
- भूमि स्वामी हक की जमीन का प्रयोजन बदलने पर किया जा सकेगा वैध
- 22 से 25 फरवरी तक भूमि स्वामी हक प्रदान करने विभिन्न स्थानों में लगेंगे शिविर

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर राजस्व विभाग के नजूल शाखा के अंतर्गत शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने लगातार शिविर आयोजित किए जा रहे है। जिसमें आवेदन कर स्थायी नजूल पट्टेदार भूमि स्वामी हक प्राप्त कर सकते है। यह योजना इसके प्रावधानों के चलते ऐसे पट्टेदारों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि योजना के तहत उन्हें सीधे जमीन का मालिकाना हक मिलता है। भूमि स्वामी हक मिलने से एक ओर जहां पट्टेदार जमीन का मालिक हो जाता है तथा किसी भी प्रकार के शासकीय अधिग्रहण तथा भू-अर्जन पर मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र होता है। यह लाभ पट्टेदार रहने पर नहीं मिलता। राजस्व नियमों के तहत पट्टा भूमि का प्रयोजन बदलने या शर्त का उल्लंघन करने पर पट्टा निरस्त हो सकता है। जैसे आवासीय पट्टे का अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने पर वह पट्टा निरस्त कर भूमि को शासकीय घोषित किया जा सकता है। वहीं इस योजना के तहत भूमि स्वामी हक लेने से प्रयोजन परिवर्तित होने पर उस भूमि का नियमितीकरण (वैध) करवाया जा सकता है। इसके साथ ही पट्टा भूमि पर बैंकों द्वारा सिर्फ लीज/पट्टा अवधि तक का ही लोन स्वीकृत किया जाता है, जबकि भू-स्वामी हक मिलने के पश्चात हितग्राही उस भूमि के विरूद्ध इस तरह किसी भी अवधि विशेष के बंधन से मुक्त होकर लोन ले सकता है। इसके साथ ही राजस्व विभाग द्वारा शासकीय भूमि के व्यवस्थापन तथा राजीव गांधी आश्रय योजना के पट्टेदारों को भूमि स्वामी हक प्रदाय करने की योजना भी चलायी जा रही है। नजूल अधिकारी ने लोगों से शासन की इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है।

शासकीय भूमि का व्यवस्थापन-नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत 20 अगस्त 2017 के पूर्व के अतिक्रमित/कब्जारत शासकीय/नजूल भूमि के कब्जेदार/आवेदक अपने अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन प्रचलित गाईड लाईन/बाजार भाव का 150 प्रतिशत प्रब्याजी एवं प्रब्याजी का 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त राशि जमा कर भूमि स्वामी हक प्राप्त कर सकते है।

गैर रियायती स्थायी पट्टेदारों को भूमि स्वामी हक प्रदाय करना-नगरीय क्षेत्र के गैर रियायती स्थायी पट्टों के पट्टेदार अपने पट्टों की प्राप्त भूमि के वर्तमान गाईड लाईन दर के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत की बराबर की राशि जमा कर भूमि स्वामी हक प्राप्त कर सकते है। ऐसे पट्टे जिनकी पट्टा अवधि समाप्त हो गयी है। ऐसे पट्टेदार नवीनीकरण सह भूमि स्वामी हक प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते है।

राजीव गांधी आश्रय योजना के पट्टेदारों को भूमि स्वामी हक प्रदाय करना-नगरीय क्षेत्र के राजीव गांधी आश्रय योजना/मुख्यमंत्री आबादी पट्टा के पट्टेदार अपने पट्टों की प्राप्त भूमि के वर्तमान गाईड लाईन दर के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य के 22 प्रतिशत के बराबर की राशि जमा कर भूमि स्वामी हक प्राप्त कर सकते है।

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशन पर रायगढ़ जिला अंतर्गत स्थायी नजूल पट्टों जिनकी नवीनीकरण अवधि समाप्त हो गई है ऐसे नजूल पट्टों के नवीनीकरण एवं भूमि स्वामी हक प्रदाय किये जाने शिविर आयोजित किये जा रहे है। प्रात: 10.30 से शाम 5.30 के बीच शिविर में आवेदन लिए जाएंगे। 22 एवं 23 फरवरी को शहर के तीन स्थानों ललित स्कूल जेलपारा, रायगढ़, देवांगन धर्मशाला रायगढ़ और रविशंकर प्राथमिक शाला चांदमारी, रायगढ़ में शिविर लगाया जाएगा। इसी तरह 24 एवं 25 फरवरी को भी शहर में तीन जगहों सिंधी धर्मशाला टेलीफोन ऑफिस के पास, रायगढ़, पुराना विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिविल लाईन के पास, रायगढ़ और दादुद्वारा धर्मशाला, रायगढ़ में शिविर लगाया जाएगा। इसके साथ ही 23 फरवरी को तहसील कार्यालय रायगढ़ में विशेष राजस्व शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर भी आवेदन लिये जायेंगे।

संकुल डोंगीतराई में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

रायगढ़। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी 2023 के अवसर पर विद्यालय द्वारा स्थानीय पालकों, समिति सदस्यों, समूह की माताओं को विद्यालय में आमंत्रित कर नन्हे बच्चों को स्थानीय भाषा छत्तीसगढ़ी में ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनाई गई। पूर्व वर्ष भी इस दिवस पर जिला परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार एवं मार्गदर्शन में संकुल केंद्र डोंगी तराई की सभी प्राथमिक विद्यालय द्वारा इस दिवस को कहानी उत्सव के रुप मे मनाया था। आज भी उसी उत्साह से इसका सफल आयोजन प्रा.शा.डोंगीतराई द्वारा किया गया। स्थानीय पालकों द्वारा इस पहल की सराहना की गई। भविष्य में बच्चों के नैतिक विकास में इस दिवस की उपयोगिता बाल हित एवं शिक्षा हित में लाभकारी होना बताया गया। बच्चे भी दादा-दादी की छत्तीसगढ़ी में कहानियां सुनने उत्साहित दिखे।

ग्राम महलोई स्कूल के विद्यार्थियों को महिला रक्षा टीम प्रभारी ने दी अपराधों से बचाव की जानकारी

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ सदानंद कुमार के निर्देशानुसार दिनांक 20.02.2023 को पुलिस महिला रक्षा टीम द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महलोई में "हमर बेटी हमर मान" के तहत कार्यक्रम आयोजित कर स्कूली छात्र- छात्राओं को महिलाओं पर घटित होने वाले अपराध, साइबर सुरक्षा, लैंगिक अपराधों, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टोनही प्रताड़ना, यातायात नियमों की जानकारी देकर बहुउपयोगी अभिव्यक्ति ऐप के संबंध में जानकारी दिया गया।

महिला सेल प्रभारी ए.एस.आई. मंजू मिश्रा तथा थाना प्रभारी अजाक ए.एस.आई. सरस्वती महापात्रे के द्वारा विद्यार्थियों को बताया गया कि पहले की मुकाबले अब अधिक समय बच्चों के पास मोबाइल रहता है। ऐसे में उनके साइबर अपराध का शिकार होने की आशंका बढ़ जाती है। सोशल प्लेटफार्म पर अंजान लोगों से दोस्ती करना उन्हें फोटो, वीडियो या निजी जानकारी शेयर ना करें। अज्ञानतावश कभी सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्व परेशान करें तो उसका नंबर ब्लाक कर अपने माता-पिता के माध्यम से पुलिस को सूचित कर सकते हैं। छात्र-छात्राओं को महिला हेल्प लाइन नंबर 1090, 181, हेल्प लाइन नंबर डायल 112, पाक्सो एक्ट, JJ Act, के बारे में विस्तार से बताया गया। जागरूकता कार्यक्रम में स्कूल के प्रधान पाठक, शिक्षकगण तथा महिला सेल महिला आरक्षक आराधना आनंद, इंदु लता भी उपस्थित रही।

चौकी खरसिया की कार्यवाई में मारपीट मामले के पांच आरोपी गए जेल

रायगढ़। दिनांक 21.02.2023 को मारपीट के दो मामलों में तीन महिला समेत 5 आरोपियों को पुलिस चौकी खरसिया स्टाफ द्वारा जेएमएफसी कोर्ट पेश किया गया। आरोपियों के कृत्य पर माननीय न्यायाधीश द्वारा सभी आरोपियों का जेल वारंट जारी किया गया जिसके पालन में आरोपियों को खरसिया पुलिस ने जेल दाखिल किया गया है।

केस नम्बर 1-

आवेदिका सुमन वैष्णव पति हेमंत यादव उम्र 26 वर्ष निवासी वार्ड नं. 03 हमालपारा खरसिया द्वारा पुलिस चौकी खरसिया में प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच पर पाया गया कि मंदिर निर्माण कार्य को लेकर रंजिश रखते हुये दिनांक 03.02.23 की रात 09:30 बजे आवेदिका के पति हेमंत यादव एवं माँ अरूणा वैष्णव के साथ आरोपिया अनिता यादव, रेणु यादव, सुमन यादव, रूपेश यादव आवेदिका के घर घुसकर गाली गलौच कर हाथ मुक्का व डण्डा से मारपीट किये और पलंग व एस्बेस्टर शीट को तोड़फोड़ कर क्षतिकारित किये। आवेदन जांच पर आहत हेमंत यादव व आहिता अरूणा वैष्णव का मुलाहिजा कराया गया। आहत हेमंत यादव के बांये हाथ पंजे की हड्डी फेक्चर होना पाया गया हैं तथा आहिता अरूणा वैष्णव की चोट सामान्य किस्म का है। आवेदन जांच पर आज आरोपिया- (1) अनीता यादव पति स्वर्गीय क्रांति यादव उम्र 36 साल, (2) रेनू यादव पिता निरंजन यादव उम्र 24 साल, (3) सुमन यादव पिता अशोक यादव उम्र 25 साल (4) रुपेश यादव पिता चंद्रशेखर यादव 26 साल सभी निवासी तलवापार हमालपारा वार्ड नंबर 3 खरसिया चौकी खरसिया के विरूद्ध धारा 452,294, 506,323, 325, 427, 34 आईपीसी का अपराध कायम कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड बाद जेल दाखिल किया गया है।

केस नम्बर 2-

वहीं पिछले 2 माह से फरार मारपीट के मामले के आरोपी कमल यादव पिता नत्थू राम यादव निवासी ग्राम ढिमनी थाना खरसिया को आज चौकी प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक अमिताभ खांडेकर द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम ढिमनी से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर कोर्ट पेश किया गया। आरोपी अपने तीन साथियों के साथ डबरा रोड खरसिया में रहने वाले गुप्ता ट्रेडर्स के संचालक सुनील कुमार गुप्ता से 23 दिसंबर के शाम न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए रुपए मांग रहे थे। सुनील गुप्ता द्वारा रुपए देने से मना करने पर सभी अश्लील गाली गलौज कर सुनील गुप्ता से मारपीट किए थे जिसमें आहत को आई अंदरूनी चोट आई थी। मामले में आहत के रिपोर्ट पर चौकी खरसिया (थाना खरसिया) में आरोपियों पर अपराध क्रमांक 679/2022 धारा 427, 327, 294, 506, 34 भादवि का अपराध दर्ज कर मामले के आरोपी शोएब अंसारी, प्रमोद जांगड़े और कमल यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था आरोपी कमल यादव फरार था जिसे आज मुखबिर सूचना पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, जहां प्राप्त जेल वारंट पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया है। चौकी प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक अमिताभ खांडेकर के साथ आरोपियों की धरपकड़ में प्रधान आरक्षक अशोक देवांगन, प्रधान आरक्षक बिरीछ राम सांडे तथा महिला स्टाफ की अहम भूमिका रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480